न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं. 2, डीग जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी : कुलदीप शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

1–नियमित फौजदारी अपील संख्या–21 सन् 2018 (सी.आई.एस. नं. 01/18)

जयपालसिंह पुत्र झंडासिंह जाति जाट निवासी ग्राम सुजालपुर पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर। ———अपीलार्थी/अभियुक्त

ए व म्

2–नियमित फौजदारी अपील संख्या–18 सन् 2018 (सी.आई.एस. नं. 02/18)

1. शिवकुमार पुत्र रणवीरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम भवनपुरा पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर।
2. नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम शीशवाडा पुलिस थाना डीग जिला भरतपुर। ———अपीलार्थी/अभियुक्तगण

ए व म्

3–नियमित फौजदारी अपील संख्या–19 सन् 2018 (सी.आई.एस. नं. 03/18)

भरतसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम हुलियाना पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर। ———अपीलार्थी/अभियुक्त

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक डीग। ————प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक 21.12.2017 द्वारा श्री अजय कुमार शर्मा तृतीय, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग बमुकद्मा नम्बरी फौजदारी प्रकरण सं. 289/16 (220/01) सरकार बनाम जयपाल बगैराह अपराध अंतर्गत धारा 147, 323, 365 भारतीय दण्ड संहिता।

उपस्थित :

1. श्री कौशलेन्द्रसिंह, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी/अभियुक्त जयपालसिंह।
2. श्री हरिकृष्ण शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी/अभियुक्त शिवकुमार बगै.।
3. श्री लोकेन्द्रसिंह, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी/अभियुक्त भरतसिंह।
4. श्री राकेश खण्डेलवाल, अपर लोक अभियोजक वास्ते प्रत्यर्थी/राज्य।

नि र्ण य

दिनांक : 05 अप्रेल 2019

उक्त तीनों फौजदारी अपील अपीलार्थी/अभियुक्तगण जयपालसिंह पुत्र झंडासिंह एवं शिवकुमार पुत्र रणवीरसिंह, नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र मोहनसिंह तथा भरतसिंह पुत्र भगवानसिंह की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त

उनवानी प्रकरण में दिनांक 21.12.2017 को पारित निर्णय व दण्डादेश से व्यथित होकर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1 डीग के समक्ष पृथक पृथक प्रस्तुत की गई जो अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। आलौच्याधीन निर्णय व दण्डादेश के जरिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 147, 323 व 365 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त को विभिन्न कारावासीय दण्ड व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त तीनों अपीलें एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2– उक्त तीनों अपीलों को पृथक पृथक दर्ज रजिस्टर किया जाकर विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3– विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.02.1998 को परिवादी जवाहरसिंह ने थानाधिकारी पुलिस थाना डीग के समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय के तथ्यों की प्रस्तुत की कि दिनांक 27.02.1998 को वह, रामअवतार व देवली गूजर कामां जाने के लिए बस स्टेण्ड पर करीब 8.00 बजे पहुॅचे, वे तीनों बस के अन्दर बैठे हुए थे कि एक जीप सलेटी रंग की आई और उनमें 12–13 आदमी जो लाठी डण्डा, तलवार, कट्टा से लैस थे, कामां जाने वाली बस में अन्दर घुस गये और रामअवतार को मारपीट करते हुए नीचे उतारकर जीप में पटककर मारपीट करते हुए जान से मारने की गर्ज से निगोही वाली रोड की तरफ भगाकर ले गये। उसने व देवली ने निगोही रोड के मोड तक गाडी को जाते हुए देखा हे। इस घटना को नत्थो रामबाग व सुगनसिंह ने भी देखा है। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना डीग पर मुकद्मा नं. 106/98 अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 364, 365, 342 भा.द.सं. के अधीन प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान अपीलार्थी/अभियुक्तगण सहित कुल 06 व्यक्तियों के विरूद्ध भा. द.सं. की धारा के अधीन जुर्म प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दौराने विचारण अभियुक्तगण अमरजीत व नवनीत चौपडा के अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें क्रमशः दिनांक 05.07.2014 व 21.03.2017 को मफरूर घोषित किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 147, 323, 365 के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया

जिसे अभियुक्तगण ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजनपक्ष की ओर से गवाह पी.डब्लू. 1 जवाहरसिंह, पी.डब्लू. 2 नत्थोराम, पी.डब्लू. 3 सुगन, पी.डब्लू. 4 लालचन्द, पी.डब्लू. 5 गजपतसिंह, पी.डब्लू. 6 रामअवतार, पी.डब्लू. 7 व 18 रामसहाय शर्मा, पी.डब्ल्यू. 7 गोरधनसिंह, पी.डब्लू. 8 रामबाबूसिंह, पी.डब्लू. 9 जसवंतसिंह, पी.डब्लू. 10 बलवीरसिंह, पी.डब्लू. 11 रघुवीरसिंह, पी.डब्लू. 12 हाकिमसिंह, पी.डब्लू. 13 श्रीराम यादव, पी.डब्लू. 14 देवली, पी.डब्ल्यू. 15 डा. बी. एस. यादव, पी.डब्ल्यू. 16 बदनसिंह, पी.डब्ल्यू. 17 लक्ष्मनसिंह व पी.डब्ल्यू. 19 दाताराम को परीक्षित कराया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी. 1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी. 2 चॉक एफ.आई.आर., प्रदर्श पी. 3 नक्शा मौका, प्रदर्श पी. 4 पुलिस बयान गवाह जवाहरसिंह, प्रदर्श पी. 5 पुलिस बयान गवाह नत्थोराम, प्रदर्श पी. 6 बयान धारा 164 द.प्र.सं. रामअवतार, प्रदर्श पी. 7 चोट प्रतिवेदन रामअवतार, प्रदर्श पी. 8 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त जयपाल, प्रदर्श पी. 9 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त शिवकुमार, प्रदर्श पी. 10 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त नरेन्द्र, प्रदर्श पी. 11 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अमरजीतसिंह, प्रदर्श पी. 12 पुलिस बयान गवाह देवली, प्रदर्श पी. 13 फर्द जप्ती आलाय जुर्म, प्रदर्श पी. 14 फर्द दस्तयाबी मजरूब रामअवतार व प्रदर्श पी. 15 फर्द जप्ती जीप को प्रदर्शित कराया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को द.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन परीक्षित किया गया तो उन्होनें अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया। तत्पश्चात् योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरांत आलौच्याधीन निर्णय व दण्डादेश पारित किया गया।

4– बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्तगण दृप्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्तगण को नामजद नहीं किया गया है तथा इस प्रकरण में पीडित के अलावा चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू. 1 जवाहरसिंह, पी. डब्ल्यू. 2 नत्थोराम, पी.डब्ल्यू. 3 सुगन व पी.डब्ल्यू. 14 देवली किसी ने भी अपीलार्थी/अभियुक्तगण का नाम अपनी साक्ष्य में नहीं बताया है और न ही अपीलार्थी/अभियुक्तगण की पहचान अनुसंधान के दौरान चश्मदीद गवाहान व पीडित से कराई गई है और न ही न्यायालय में साक्ष्य के दौरान किसी भी गवाह से कराई गई है। उनका यह भी तर्क है कि स्वयं परिवादी 9–10 बजे नगर से चलना अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है जबकि अन्य गवाहान लगभग 8.00 बजे की घटना बताते हैं, ऐसी स्थिति में घटना के समय के संबंध में गवाहान के

बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। उनका यह भी तर्क है कि पीडित रामअवतार को अपीलार्थी/अभियुक्तगण के कब्जे से दस्तयाब नहीं किया गया है तथा अभियोजन के गवाहान की साक्ष्य में इस संबंध में भी गम्भीर विरोधाभास है। उनका यह भी तर्क है कि पीडित रामअवतार को दस्तायाब करने वाले एस.एच.ओ. रतनलाल भारद्वाज को अभियोजन की ओर से न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही अपीलार्थी/अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाले वृत्ताधिकारी रामेश्वरलाल को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, न ही रोजनामचा की नकल को साबित कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होते हुए भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किया गया है, ऐसी स्थिति में उनकी ओर से प्रस्तुत तीनों अपीलें स्वीकार की जाकर योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी/अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश को विधि सम्मत् बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

5– हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 27.02.1998 को 8.00 एम.एम. पर या उसे लगभग बस स्टेण्ड डीग पर अपराध कारित करने के लिए साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन करते हुए जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में मजरूब रामअवतार का गुप्त रीति से परिरोध करने के लिए उसका अपहरण या व्यपहरण कर उसके साथ कुन्दालय से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित कर बलवा कारित किया ?

6– सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू. 6 पीडित रामअवतार द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 27.02.1998 को करीब 9–10 बजे नगर से चलना और रोडवेज बस में बैठकर डीग आना कथन किया गया है। इस प्रकार यह गवाह जो स्वयं पीडित है, घटना 9–10 बजे नगर से चलकर डीग आने के बाद होना कथन करता है जबकि घटना के चश्मदीद गवाह परिवादी पी.डब्ल्यू. 1 जवाहरसिंह ने घटना का समय 8.00 बजे का बताया है तथा गवाह पी.डब्ल्यू. 3 सुगन घटना का समय 8–9 बजे बताता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू. 4 लालचन्द 8.15 बजे घटना की सूचना टेलीफोन के जरिए थाने पर मिलना कथन करता है। गवाह पी.डब्ल्यू. 9

जसवंत, पी.डब्ल्यू. 10 बलवीरसिंह, पी.डब्ल्यू. 11 रघुवीर, पी.डब्ल्यू. 12 हाकिम व पी. डब्ल्यू. 13 श्रीराम यादव अपने प्रतिपरीक्षण में 8.15 बजे घटना के सूचना मिलने पर थाने से रवाना होना कथन करते हैं। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 2 में थाने पर सूचना प्राप्त होने का समय दिनांक 27.02.1998 को 10.15 बजे अंकित किया गया है। इस प्रकार स्वयं पीडित पी.डब्ल्यू. 6 रामअवतार द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में बताये गये घटना के समय का विश्लेषण किया जावे तो घटना 10–11 बजे के मध्य घटित होनी चाहिए जबकि चश्मदीद गवाह परिवादी पी. डब्ल्यू. 1 जवाहरसिंह घटना का समय 8.00 बजे बताता है तथा गवाह पी. डब्ल्यू. 3 सुगन घटना 8–9 बजे की बताता है। इस प्रकार घटना के समय के संबंध में स्वयं पीडित रामवअतर व चश्मदीद गवाहान पी.डब्ल्यू. 1 जवाहरसिंह व पी. डब्ल्यू. 3 सुगन के बयानों में विरोधाभास है। गवाह पी.डब्ल्यू. 4 लालचन्द घटना की सूचना थाने पर प्राप्त होने का समय 8.15 बजे बताता है जबकि पुलिस द्वारा दर्ज की गई चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 2 में घटना की सूचना प्राप्त होने का समय 10.15 ए.एम. अंकित है तथा गवाह पी.डब्ल्यू. 9 जसवंतसिंह, पी.डब्ल्यू. 10 बलवीरसिंह, पी.डब्ल्यू. 11 रघुवीरसिंह, पी.डब्ल्यू. 12 हाकिमसिंह व पी.डब्ल्यू. 13 श्रीराम यादव के अनुसार घटना की सूचना पर थाने से रवाना होने का समय 8.15 बजे बताया गया है। इस प्रकार घटना के समय के बारे में पुलिसकर्मी गवाहान की साक्ष्य एवं चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 2 में घटना के संबंध में थाने पर सूचना प्राप्त होने के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास है।

7– गवाह पी.डब्ल्यू. 4 लालचन्द अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 27.02.1998 को थाने पर सूचना प्राप्त होने पर एस.एच.ओ. श्रीराम यादव के साथ मय जाप्ता रवाना होकर निगोही पहुँचने पर सी.ओ. रामेश्वरलाल का मिलना एवं उनके द्वारा तीन टीम गठित कर छपरा के जंगलों से सी.ओ. साहब द्वारा दो बदमाश जयपाल व अमरजीत को एवं एस.एच.ओ. द्वारा नरेन्द्र व शिवकुमार को पकडना व अभियुक्तगण से चार लाठी बांस, लोहे का सरिया व एक तलवार बरामद होना कथन किया है। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में घटनास्थल पर प्राइवेट जीप से पहुँचना कथन किया गया है जबकि अन्य पुलिसकर्मी गवाह पी. डब्ल्यू. 10 बलवीरसिंह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में प्राइवेट जीप को स्वयं द्वारा चलाना तथा अपने साथ कॉ. रघुवीरसिंह, हाकिमसिंह व बलवीरसिंह नं. 1319 का होना कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 11 रघुवीरसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में प्राइवेट जीप में बलवीर कॉ. व हाकिम का होना कथन किया है। उक्त दोनों

पुलिसकर्मी गवाहान लालचन्द उनके साथ प्राइवेट जीप में मौके पर गया हो, इस बात की ताईद अपनी साक्ष्य में नहीं करते हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 8 रामबाबू ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि सी.ओ. साहब ने तीन टीम बनाई थी जिनमें से एक पार्टी में ए.एस.आई. गोरधनसिंह, वह स्वयं तथा कॉ. जसवंत थे जिनको सी.ओ. साहब अपने हमराह लेकर अपहरण करने वाले अभियुक्तगण व अपहर्त का पीछा करने पर अपहरण करने वाले गाडी को छोडकर जंगल में भाग जाना, जिनमें से अभियुक्त जयपाल, अमरजीत, शिवकुमार व नरेन्द्र को पकडना कथन किया है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 9 जसवंतसिंह द्वारा भी सी.ओ. की टीम में होना एवं शिवकुमार, नरेन्द्र, जयपाल व अमरजीत को पकडना कथन किया गया है जबकि गवाह पी.डब्ल्यू. 10 बलवीरसिंह व पी.डब्ल्यू. 11 रघुवीरसिंह ने दो बदमाशों को एस.एच.ओ. द्वारा व दो बदमाशों को सी.ओ. द्वारा पकडना कहा है। गवाह पी.डब्ल्यू. 12 हाकिमसिंह स्वयं का एस.एच.ओ. व गोरधनसिंह के साथ टीम में होना तथा सीकरी इलाके के गांव में जाकर चार बदमाशान द्वारा रामअवतार को पकडना कथन किया है तथा चारों बदमाशों को पकडकर थाना डीग लेकर आना व गाडी आर.जे. 02/सी. 1570 को जप्त करना कथन किया है। इस प्रकार यह गवाह स्वयं का एस.एच.ओ. की टीम में होना व चार बदमाशों को पकडना कथन करता है। गवाह पी.डब्ल्यू. 13 श्रीराम यादव अपने मुख्य परीक्षण में ग्राम पाकशेडी के जंगलों में तलाश करने जाना व महेन्द्रा पीजो जीप पाकशेड के जंगलों में मिलना व अभियुक्त नरेन्द्र व शिवकुमार को पकडना कथन करता है तथा थाना सीकरी पहुॅचने पर सी.ओ. का अन्य पकडे हुए अभियुक्तगण के साथ मौजूद मिलना भी कथन करता है। इस प्रकार यह गवाह केवल मात्र दो अभियुक्तगण नरेन्द्र व शिवकुमार को स्वयं द्वारा गिरफ्तार करना कथन करता है। गवाह पी.डब्ल्यू. 19 दाताराम एस.एच.ओ. के साथ जंगलों में जाना व सी.ओ. द्वारा दो अभियुक्तगण को पकडा व दो अभियुक्तगण को स्वयं की टीम द्वारा पकडना कथन करता है तथा प्रतिपरीक्षण में सी.ओ. द्वारा दो अभियुक्तगण को पकडना व उनमें शिवकुमार, नरेन्द्र व जयपाल का नहीं होना कथन किया है। इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 4 लालचन्द, पी.डब्ल्यू. 8 रामबाबू, पी.डब्ल्यू. 9 जसवंतसिंह, पी.डब्ल्यू. 10 बलवीरसिंह, पी.डब्ल्यू. 11 रघुवीरसिंह, पी.डब्ल्यू. 12 हाकिमसिंह व पी.डब्ल्यू. 13 श्रीराम यादव, पी.डब्ल्यू. 19 दाताराम के बयानों में किसी टीम द्वारा किस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, इस संबंध में गम्भीर विरोधाभास है, जिससे संदेह उत्पन्न होता है कि अभियुक्तगण को निगोही के जंगलों से पकडा

गया या नहीं। इसके अतिरिक्त स्वयं अपहर्त पी.डब्ल्यू. 6 रामअवतार अपने प्रतिपरीक्षण में तीन अभियुक्तगण को मौके पर पकडना कथन करता है। जिससे संदेह उत्पन्न होता है कि चार अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे या नहीं।

8– दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अपहर्त रामअवतार कैसे दस्तयाब हुआ, इस संबंध में पी.डब्ल्यू. 6 रामअवतार अभियुक्त भरत द्वारा धक्का देकर उसे फैंक देना और बाद में पुलिस द्वारा उसे दस्तयाब करना कथन करता है। इस संबंध में बनाई गई फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी. 14 में अंकित किया गया है कि गवाहान के समक्ष अपहर्त रामअवतार व अभियुक्त जयपाल व अमरजीत को ए.एस.आई. गोरधरसिंह द्वारा मय जीप के पेश करना अंकित किया गया है जिस पर समय अंकित नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू. 13 श्रीराम यादव द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में रामअवतार का जीप में पडा मिलना कथन किया गया है तथा गवाह पी.डब्ल्यू. 17 लक्ष्मनसिंह द्वारा रामअवतार का जीप में पडा मिलना जिसे जरिए फर्द प्रदर्श पी. 14 दस्तयाब करना कथन किया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 7 गोरधनसिंह ने प्रदर्श पी. 14 के अनुसार उसके द्वारा अभियुक्त जयपाल, अमरजीत व अपहर्त रामअवतार को आई.ओ. या अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश कर बरामद कराया हो, ऐसा कोई कथन अपने सम्पूर्ण बयान में नहीं किया गया है तथा यह गवाह अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि अभियुक्तगण को जब गिरफ्तार किया गया, तब रामअवतार अपने परिजनों के साथ जा चुका था। गवाह पी.डब्ल्यू. 12 हाकिमसिंह अपहर्त रामअवतार को चार बदमाशों द्वारा पकडे हुए मिलना अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है। इस प्रकार अपहर्त रामअवतार अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्तगण के कब्जे से दस्तयाब नहीं हुआ तथा रामअवतार पुलिस द्वारा किस प्रकार दस्तयाब किया गया, इस संबंध में गवाहान के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। गवाह पी.डब्ल्यू. 12 हाकिमसिंह अपहर्त रामअवतार का बदमाशों के कब्जे से दस्तयाब होना कहता है जबकि गवाह पी. डब्ल्यू. 13 श्रीराम यादव व पी.डब्ल्यू. 17 लक्ष्मनसिंह अपहर्त रामअवतार का गाडी में पडे हुए मिलना कथन करते हैं जबकि स्वयं अपहर्त पी.डब्ल्यू. 6 रामअवतार अभियुक्तगण द्वारा उसे गाडी से धक्का देकर फैंक देना और बाद में स्वयं का पुलिस को मिलना कथन करता है। गवाह पी.डब्ल्यू. 19 दाताराम अपहर्त रामअवतार को दस्तयाब करने के संबंध में कथन नहीं करता है। इस प्रकार अपहर्त रामअवतार की दस्तयाबी के संबंध में भी अभियोजन के गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। गवाह पी.डब्ल्यू. 17 लक्ष्मनसिंह अपहर्त

रामअवतार की दस्तयाबी के समय साथ था, यह अभियोजन स्पष्ट नहीं कर पाया है क्योंकि गवाह पी.डब्ल्यू. 17 लक्ष्मनसिंह की उपस्थिति किसी पुलिस टीम में हो, अन्य कोई गवाह नहीं कहता है।

9– प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से चश्मदीद गवाहान के रूप में पी.डब्ल्यू. 1 जवाहरसिंह, पी.डब्ल्यू. 2 नत्थोराम, पी.डब्ल्यू. 3 सुगन व पी.डब्ल्यू. 14 देवली को परीक्षित कराया गया है परन्तु उक्त चारों ही गवाहान में से किसी के द्वारा अपहरण करने वाले व्यक्तियों को नहीं पहचाना है और न ही उनका नाम बताया है, जो कि सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकती थी तथा गवाह पी.डब्ल्यू. 6 रामअवतार द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में अपना अपहरण करने वालों का नाम जयपाल, बन्टू, मनोज, शिवकुमार, नरेन्द्र, अमरजीत, पाण्डे, चौपडा, बन्टू उर्फ मनोज, नवनीत चौपडा, थानसिंह, शैलेन्द्र, एक लम्बा लडका व एक सौनी कुल 14 व्यक्तियों के बारे में बताता है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि मुलजिमान के नाम आपस में जीप में नाम लेने के आधार पर लिखाये थे। अपहर्त रामअवतार कुल 14 व्यक्त्यिों द्वारा अपना अपहरण करना कथन करता है परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में उनके नाम केवल मात्र जीप में बोलने के आधार पर बताना कथन करता है। अभियोजन पक्ष द्वारा न तो अभियुक्तगण की पहचान न्यायालय में कराई गई है और न ही अनुसंधान के दौरान कराई गई है जिससे कि अपीलार्थी/अभियुक्तगण द्वारा ही रामअवतार का अपहरण किया गया हो, यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। स्वयं पीडित पी.डब्ल्यू. 6 रामअवतार अपने व अभियुक्त दोनों का राजनीति से संबंधित होने को स्वीकार करता है।

10– गवाह पी.डब्ल्यू. 7 रामसहाय शर्मा एफ.आई.आर. दर्ज करने व नक्शा मौका बनाने तथा परिवादी जवाहरसिंह के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान लेखबद्ध करने का औपचारिक गवाह है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 5 गजपतसिंह दौराने अनुसंधान घटना के दो साल बाद गवाहान देवली, सुगन व नत्थों के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान लेखबद्ध करने का औपचारिक साक्षी है। यहॉ यह भी लिखना उचित होगा कि परिवादी द्वारा दर्ज कराई गई तहरीरी रिपोर्ट में घटना देखने वालों के रूप में नत्थो, सुगन व देवली का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था तो उनके धारा 161 द.प्र.सं. के बयान तुरन्त लेखबद्ध नहीं कर घटना के दो साल बाद क्योंकर दर्ज किये गये, इसका भी अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी. 14 पर समय दस्तयाबी का समय अंकित नहीं है तथा गवाह पी.डब्ल्यू. 6 रामअवतार

अपने मुख्य परीक्षण में एक घण्टे बाद बदमाशों से स्वयं को मुक्त करा लेना कहता है। यदि अभियोजन की कहानी को सत्य मानें तो उक्त रामअवतार की साक्ष्य के अनुसार पुलिस द्वारा उसे 9–10 बजे के लगभग उसे छुडा लेना व अपीलार्थी/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लेना होना चाहिए जबकि फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी. 4 पर किसी प्रकार का समय अंकित नहीं है तथा अभियुक्त शिवकुमार की फर्द गिरफ्तारी पर 5.55 पी.एम., अभियुक्त नरेन्द्र की फर्द गिरफ्तारी पर 4.45 पी.एम., अभियुक्त जयपाल की फर्द गिरफ्तारी पर 4.15 पी. एम. तथा अभियुक्त अमरजीत की फर्द गिरफ्तारी पर 5.15 पी.एम. का समय अंकित है जबकि अपीलार्थी/अभियुक्तगण के कब्जे से मौके पर बरामद की गई जीप, लाठियॉ, तलवार व सरिया की फर्द जप्तीयों पर कोई समय अंकित नही है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कहानी के अनुसार रामअवतार का अपहरण कब हुआ एवं कब उसे दस्तयाब किया गया, यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है। दोनों महत्वपूर्ण गवाहान एस.एच.ओ. रतनलाल भारद्वाज एवं सी.ओ. रामेश्वरलाल को गवाह के रूप में न्यायालय में पेश नहीं किया गया है।

11– गवाह पी.डब्ल्यू. 6 रामअवतार अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि अभियुक्तगण ने बीडी से उसे चहरे पर जला दिया था जबकि रामअवतार का मैडिकल दिनांक 27.02.1998 को घटना के दिन ही समय 6.15 पी.एम. पर पुलिस के प्रतिवेदन पर कराया गया है जिसमें गवाह पी.डब्ल्यू. 15 डा. बी.एस. यादव ने मजरूब रामअवतार के चेहरे पर बीडी से जले होने का कोई निशान प्रदर्श पी. 7 में नहीं पाया है। प्रदर्श पी. 7 एम.एल.सी. एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद होने के बावजूद उस पर एफ.आई.आर. नम्बर अंकित नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू. 6 रामअवतार द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में उससे सोने की चैन, अंगूठी व 2260/–रुपये छीनना व कट्टे की नौक पर अभियुक्तगण द्वारा अपना अपहरण किया जाना कथन किया गया है जबकि अभियुक्तगण से अनुसंधान के दौरान किसी प्रकार का कोई कट्टा व चैन, अंगूठी व नकद रुपये आदि बरामद नहीं किये गये हैं तथा बरामद शुदा लाठी, सरिया व तलवार को दौराने अन्वीक्षा प्रदर्शित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि अभियुक्तगण को मौके पर ही अभियोजन कहानी के अनुसार गिरफ्तार किया गया था तो अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कट्टा व रामअवतार से लूटी गई सोने की चैन, अंगूठी व रुपये क्योंकर बरामद नहीं किये गये, यह तथ्य भी घटना को संदेहास्पद बनाता है।

12– गवाह पी.डब्ल्यू. 19 दाताराम किस टीम में था व किनके साथ था, यह स्वयं नहीं बताता है, न ही अन्य काई गवाह इसके बारे में बताता है। ऐसी स्थिति में दाताराम की उपस्थिति संदेहास्पद है। गवाह पी.डब्ल्यू. 12 हाकिमसिंह स्वयं को एस.एच.ओ. के साथ प्राइवेट जीप की टीम में गोरधनसिंह के साथ होना कहता है जबकि एस.एच.ओ. सरकारी जीप में गया था परन्तु गवाह पी.डब्ल्यू. 10 बलवीरसिंह व पी.डब्ल्यू. 1 रघुवीरसिंह हाकिमसिंह को अपने साथ प्राइवेट जीप में होना कहते हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 8 रामबाबूसिंह सी.ओ. साहब द्वारा बनाई तीन में से सी.ओ. साहब की टीम में स्वयं, गोरधनसिंह ए.एस.आई. व कॉ. जसवन्त का होना कहता है तथा इसके विपरीत पी.डब्ल्यू. 7 गोरधनसिंह ए.एस.आई. प्रतिपरीक्षण में कोतवाल साहब के साथ होना कहता है। सी.ओ. साहब कहॉ मिले पता नहीं होना कहता है। गवाह पी.डब्ल्यू. 11 रघुवीरसिंह व पी.डब्ल्यू. 10 बलवीरसिंह प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि वह, रघुवीर व हाकिम प्राइवेट जीप में थे। कोतवाल साहब व सी.ओ. साहब रामअवतार व बदमाशान को कहॉ से लाये, इसका पता नहीं। इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 10 बलवीरसिंह व पी. डब्ल्यू. 11 रघुवीरसिंह, पी.डब्ल्यू. 12 हाकिमसिंह के सामने रामअवतार दस्तयाब हुआ हो तथा बदमाशान को गिरफ्तार किया गया हो, यह तथ्य संदेहास्पद है।

13– गवाह पी.डब्ल्यू. 6 अपहर्त रामअवतार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि जब वह नगर से रोडवेज बस में बैठकर डीग आया, उस समय रसिया पर कुछ लोग उसे देखकर बस में से उतरकर चले गये थे, मुझे कुछ आभास नहीं था। डीग बस स्टेण्ड पर उसे बस में से खींचा तब उसने उनकी शक्ल देखकर पहचाना कि यह लोग वही थे जिन्होनें उसे रसिया पर देखा था। अनुसंधान के दौरान अपहर्त रामअवतार का धारा 164 द.प्र.सं. का बयान लेखबद्ध कराया गया है तथा उसका धारा 161 द.प्र.सं. का बयान भी पुलिस द्वारा लेखबद्ध किया गया है परन्तु रामअवतार द्वारा रसिया पर उसे बस में देखकर कुछ लोग बस से उतरकर चले गये हों और डीग बस स्टेण्ड पर उन लोगों ने उसे बस से खींचा हो, यह तथ्य अपने धारा 161 द.प्र.सं. व धारा 164 द.प्र.सं. के बयान में नहीं बताया है तथा उसके द्वारा यह तथ्य सर्वप्रथम न्यायालय में ही बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपहर्त रामअवतार का उक्त कथन बाद में सोच समझकर अभियोजन कहानी को बल प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया कथन प्रतीत होता है।

14– अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होते हुए भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध घोषित कर दण्डित किया गया है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से पृथक पृथक प्रस्तुत तीनों अपीलें स्वीकार की जाकर योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

आ दे श

15– फलस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त जयपालसिंह पुत्र झंडासिंह जाति जाट निवासी ग्राम सुजालपुर पुलिस थाना नगर जिला भरतपुर की ओर से प्रस्तुत अपील सं. 21/18, अपीलार्थी/अभियुक्तगण शिवकुमार पुत्र रणवीरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम भवनपुरा पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर व नरेन्द्र उर्फ बन्टू पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम शीशवाडा पुलिस थाना डीग जिला भरतपुर की ओर से प्रस्तुत अपील सं. 18/18 तथा अपीलार्थी/अभियुक्त भरतसिंह पुत्र भगवानसिंहजाति जाट निवासी ग्राम हुलियाना पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर की ओर से प्रस्तुत अपील सं. 19/18 विरूद्ध निर्णय, दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 21.12.2017 एतद्द्वारा स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांकित 21.12.2017 अपास्त किया जाता है एवं उक्त सभी अपीलार्थी/अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 147, 323, 365 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ योग्य विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापिस लौटाई जावे।

(कुलदीप शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–2, डीग जिला भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 05 अप्रेल को लिखाया, हस्ताक्षरित किया व सरे इजलास सुनाया गया।

(कुलदीप शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–2, डीग जिला भरतपुर